छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा एकादश सत्र अंक-04

रायपुर, गुरूवार, दिनांक 2 मार्च, 2017

(फाल्गुन 11, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 09 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 36 तारांकित एवं 52 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 09 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री मोतीराम चंद्रवंशी, संसदीय सचिव ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा उसकी सहायक कंपनियां -

- (i) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड
- (ii) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड
- (iii) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
- (iv) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिग कंपनी लिमिटेड

के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015, तथा

(2) श्री तोखन साहू, संसदीय सचिव ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2011-12 **पटल पर रखे।**

डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य ने शराब दुकानों का विरोध एवं श्री भूपेश बघेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा शराबबंदी संबंधी स्थगन पर चर्चा की मांग की गई।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि पिछले सत्र में कुछ ऐसी घटनायें घटी, जिसको आपने सहृदयता से माफ कर दिया था। कल भी एक घटना घटी, यहां पानी छिड़का गया और आसंदी से वेशभूषा संबंधी आचरण की निंदा की गई।

आज फिर से उसकी पुनरावृत्ति हुई है। हमारा यह एक पवित्र सदन है। मैंने एक प्रस्ताव दिया है इसमें तत्काल व्यवस्था हो या चर्चा, प्रस्ताव को स्वीकार करने का आग्रह किया।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य एवं श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव पर व्यवस्था देने का आग्रह किया।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि सदन की गरिमा हमेशा रहेगी, सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए ही कल मैंने यह व्यवस्था दी थी कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस संबंध में प्रस्ताव लायें।

4. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में शराब दुकानों को आबादी क्षेत्र में स्थापित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में 36 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की प्राप्त सूचनाओं में से श्री भूपेश बघेल, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई।

श्री अमर अग्रवाल, आबकारी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष ने शासन का उत्तर सुनने के पश्चात स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.42 बजे स्थगित की जाकर 1.08 बजे पुन: समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

5.प्रस्ताव

"यह सदन माननीय सदस्य श्री अमित जोगी, श्री सियाराम कौशिक एवं श्री राजेन्द्र कुमार राय द्वारा जान-बूझकर उनके सभा भवन के अंदर एवं सभा भवन के परिसर में किए गए असंसदीय कृत्य एवं नहीं करने योग्य आचरण के लिए उनकी निंदा करता है।"

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री भूपेश बघेल-सदस्य, श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय-राजस्व मंत्री, श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष एवं श्री अमित अजीत जोगी-सदस्य।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(केवल एक माननीय सदस्य ने असहमति व्यक्त की)

श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि स्थगन पर व्यवस्था आ चुकी है।

श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने कथन की आपका प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया गया है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

(सर्वश्री अमित अजीत जोगी, सियाराम कौशिक एवं राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य गर्भगृह में आये।)

6. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की कार्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन सर्वश्री अमित अजीत जोगी, सियाराम कौशिक एवं राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें। निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे।

(निलंबित सदस्य सभा भवन से बाहर गए।)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 1.44 बजे स्थगित की जाकर 3.06 बजे पुन: समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा पुन: स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की गई।

माननीय सभापति ने कथन किया कि स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी जा चुकी है। इसलिए अब उस विषय को उठाने का औचित्य नहीं है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने प्रदेश में स्मार्ट कार्ड से इलाज में व्याप्त अनियमितता की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री शिवशंकर पैकरा संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 3.23 बजे स्थगित की जाकर 3.34 बजे पुन: समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

(2) (अनुपस्थित) (सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।)

8. माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

श्री श्रीचंद सुंदरानी, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री नवीन मारकण्डेय, चुन्नीलाल साहू (खल्लारी), श्याम बिहारी जायसवाल, डॉ. खिलावन साहू,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

डॉ. सनम जांगड़े।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

माननीय अध्यक्ष ने व्यक्त किया कि आज सुबह ही सदन की उच्च परंपराओं को ध्यान में रखते हुए इसकी गरिमा को बढ़ाने के लिए आपने असंसदीय आचरण करने वाले सदस्यों का निंदा प्रस्ताव पास किया है। हम उसी प्रकार का व्यवहार इस सदन में पुन: इसकी गरिमा को घटाने के लिए कर रहे हैं। आपको विरोध दर्ज कराने का पर्याप्त अवसर मिल गया है। प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही में भाग लेने की आग्रह किया एवं चर्चा हेतु नाम पुकारे गए।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की जाती रही।)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

समस्त संशोधनों पर एक साथ मत लिया गया।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9.निलंबन अवधि का निर्धारण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज गुरूवार, दिनांक 02 मार्च, 2017 को अपराह्न 1.42 बजे सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करते हुए श्री सियाराम कौशिक, श्री राजेन्द्र कुमार राय तथा श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य सभा के गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत स्वमेव निलंबित हो गए थे, उनके निलंबन की अवधि मेरे द्वारा पश्चात् निर्धारित किए जाने की घोषणा की गई थी।

मैं उपरोक्त माननीय सदस्यों के निलंबन की अवधि मंगलवार, दिनांक 07 मार्च, 2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए निर्धारित करता हूं।

सायं 4.54 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च, 2017 (फाल्गुन-12, शक संवत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा